न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर कैम्प भरतपुर
पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह यादव R.A.S.
वाद सं 87/16

कैलाश पुत्र हरनमल जाति जांगीड़ ब्राह्मण निवासी ग्राम
उदपुरी तहसील नगर जिला भरतपुर -- वादी

बनाम

1. जिला कलक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार तहसील नगर (भरतपुर)

-- प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88-89, 91, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. श्री अनिल कुमार गोयल अधिवक्ता वादी
2. " पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 11.5.2018

वादी ने यह दावा दिनांक 5.4.2010 को इस आशय का संस्थित किया है कि साबिक ख.नं. 137 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम भरतपुरा तहसील नगर दीपचंद पुत्र मनोहर लाल वैश्य के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा था जो उसने दिनांक 27.6.1979 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वादी को विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया. बयनामा के काल से ही वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। दौराने सैटलमेन्ट उक्त साबिक ख.नं. को हाल ख.नं. 293 / 0.6 में परिवर्तित कर दिया गया. जिसका रकबा साबिक रकबा के मुकाबले 10 हेयर कम आया है, जबकि वादी आज भी मौके पर 0.72 हैक्टेयर पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में 0.10 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज करने से वादी को आर्थिक-मानसिक क्षति हो रही है, इस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कर्मचारी वादी को 10 हेयर रकबा से बेदखल करने पर आमादा है. जिसकी बाबत उन्होंने दिनांक 29.3.10 को धमकी दी थी यदि प्रतिवादीगण अपने इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अंत में निवेदन किया है कि दावा

299 का क्षेत्रफल 0.62 हैक्टे. के स्थान साबिक रकबा के - अनुसार 0.72 हैक्टे० किया जाकर वादी को ख.नं. $\frac{299}{0.72}$ पर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा खरीद की गई भूमि का नामा० सं० 5 भी वादी के हक में ख.नं. 299 रकबा 0.62 हैक्टे० का दर्ज हुआ है, वादी का यह कथन कि वादी का 0.72 हैक्टे० रकबे पर कब्जा काश्त है गलत है। वादी द्वारा बयनामा से लेकर आज तक 0.72 हैक्टे० पर कब्जा काश्त होने का कोई - दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है। वादी द्वारा अपने दावा में यह कहीं भी नहीं दर्शाया है कि वादी के ख.नं. 299 का रकबा किसी अन्य ख.नं. में शामिल हुआ है। ख.नं. 299 के साबिक ख.नं. 137 का रकबा किन-किन नम्बरों में कितना कितना गया है, नहीं बताया है। अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल - जमाबंदी सं. 2065-68, नक्शा ट्रेस ख.नं. 299, व अन्य कित्ता 2, नकल नामा. सं. 5, फोटो प्रति बयनामा दिनांक 27-6-79, नकल अक्स शजरा किश्तवार मौजा भटपुरा, नकल खसरा, पत्रक भू प्रबंध विभाग दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं।

हमने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय - आपके द्वार 2018 कैम्प भटपुरा के मजमे आम में उभय पक्ष की सुनवाई की तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं. 2065-2068 के खाता सं. 63 पर ख.नं. $\frac{299}{0.62}$ वाके ग्राम भटपुरा की बाबत — "कैलाश चन्द वल्द रतन मल कौम जांगड़ा ब्राह्मण साकिन अदद्दी खातेदार" दर्ज रिकार्ड है। फोटो प्रति बयनामा दिनांक 27.6.79 के अवलोकन से साबिक आ. ख.नं. 137 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम भटपुरा को दीपचंद पुत्र मनोहर - लाल जाति वैश्य नि० भटपुरा से वादी कैलाश चन्द पुत्र —

पूरन मल जाति आंगड़ा भरतपुर कि० अडपुरी द्वारा क्रय किया-
जाना साबित है। उक्त बयनामा के आधार पर हाल ख० नं०
$\frac{299}{0.62}$ पर विक्रेता दीपचंद के स्थान पर क्रेता कैलाशचन्द का
नाम दर्ज किया जाना प्रमाणली के उपलब्ध नकल नाम०
सं० 5 से साबित होता है। नकल खसरा पत्रक व प्रबंध विभाग
के अवलोकन से हाल ख० नं० $\frac{299}{0.62}$ साबिक ख० नं० 137 कि० से
बनाया जाना साबित है जो दीपचंद पुत्र मनोहर लाल जाति
वैश्य की खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है तथा नामा० सं०
5 से बयनामा के आधार पर वादी कैलाश चंद के नाम खातेदारी
के दर्ज होना हाल जमाबंदी सं० 2065-68 से साबित है। फोटो
प्रति बयनामा दिनांक 27.6.79 के अनुसार वादी द्वारा साबिक
ख० नं० 137 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा क्रय किया जाना साबित
है जिसका रकबा नवीन मीट्रिक प्रणाली से 0.72 हैक्टे०-
बनना चाहिए। जबकि प्र० प्रबंध विभाग द्वारा नवीन
रकबा 0.62 हैक्टे० बनाया गया है जो साबिक रकबा के
मुकाबले 10 हैक्टर कम रिकार्ड में दर्ज हुआ है। अपने दावा
को साबित करने का भार वादी पर होता है, लेकिन वादी
इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि उक्त-
क्रय शुदा साबिक ख० नं० 137 का रकबा हाल ख० नं० 299 के
अलावा किस नम्बर में मिलाया गया है। इसके अलावा न्याय
की दृष्टि से दिनांक 10-2-11 को न्यायालय द्वारा तहसीलदार-
नगर से साबिक ख० नं० 137 व हाल ख० नं० 299 की रकबा बरारी
करते हुए मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर तहसीलदार
नगर के पत्रांक (LR)/660 दिनांक 21.2.11 से मौका रिपोर्ट
प्राप्त हुई जिसमें अंकित किया है कि - "ग्राम भरतपुर के
अराजी ख० नं० $\frac{299}{0.62}$ की नक्शा ट्रेस अनुसार रकबा बरारी
की गई जिसके मुताबिक ख० नं० 299 का रकबा मुताबिक
जमाबंदी 0.62 हैक्टे० ही बनता है।" तहसीलदार नगर से-
पत्रांक/राजस्व/11/443 दिनांक 22.3.11 से पुनः मौका रिपोर्ट-
प्राप्त हुई जिसमें अंकित किया है कि - "ग्राम भरतपुर के
ख० नं० 299 रकबा 0.62 के मौके पर पहुँचकर रकबा बरारी
के लिए जरीब चलाई गई तथा पैमाइश की गई एवं मौके
पर रकबा बरारी की गई। ख० नं० 299 का रकबा बरारी
में 0.62 हैक्टे० रकबा बैठता है। तथा मुताबिक रिकार्ड-

हाल में भी 0.62 हैक्टे. रकबा उक्त काश्तकार खातेदार के नाम दर्ज है। अतः ख.नं. 299 वाके ग्राम भदपुरा के मुताबिक रिकार्ड हाल एवं मुताबिक मौका रकबे में कोई कमी बेशी नहीं है।" इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन अनुसार वादी अपना वाद को साबित करने में असफल रहा है तथा आदेशिका दिनांक 9.10.19 की पालना में भी वादी द्वारा साबिक व हाल रकबा की बराबरी करने में रिकॉर्ड से पूर्व का रिकार्ड उपलब्ध कराने में तहसील दार नगर व अन्य राजस्व कर्मियों को सहयोग नहीं किया है, जिससे वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य नहीं है। अतः आदेश है कि —

दावा वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो।

(हस्ताक्षर)
(राजवीर सिंह यादव)

निर्णय आज दिनांक 11.5.2018 को लिखाया जाकर कैम्प भदपुरा मजमे आम में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(राजवीर सिंह यादव)